

कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर भीलवाड़ा

क्रमांक :- म.गा. नरेगा/संस्थापन/2018-19/ 11145

दिनांक 8/8/2018

सूचना

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 11 (18) ग्रावि /नरेगा /पद सृजन /2010 पार्ट-I / 00544 दिनांक 02.5.2018 की अनुपालना में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 11128 दिनांक 31.07.2018 द्वारा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 9 संविदा पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची व कार्यालय के आदेश क्रमांक 11127 दिनांक 31.07.2018 द्वारा लेखा सहायक के 12 संविदा पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई हैं।

अतः चयनित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 13.08.2018 तक मूल दस्तावेजों सहित सत्यापन हेतु इस कार्यालय में उपस्थित होंगे नियत दिनांक तक उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी का चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

सलंगन:-उपरोक्तानुसार आदेश।



(गजेन्द्र सिंह राठौड़)

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद भीलवाड़ा

प्रतिलिपी :

1. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) सूचना प्रधौगिकी व संचार विभाग भीलवाड़ा को अपलोड कराने बाबत प्रेषित हैं।



अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद भीलवाड़ा

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर भीलवाड़ा
दिनांक 31.7.2018

न.गा.नरेगा/संस्थापन/2017-18/11127

// आदेश //

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनांतर्गत श्रीमान शासन सचिव ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक एफ 11 (8) ग्रावि /नरेगा /पद सृजन /2016 / दिनांक 25.5.2017 द्वारा लेखा सहायक के रिक्त पदों पर सेवाएँ पूर्ण रूप से अस्थाई तौर पर सविदा पद पर लेने की स्वीकृति प्राप्त हुयी जिसके तहत इस कार्यालय के द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक /1.11.2017 से आमंत्रित आवेदन पत्रों में से निर्धारित चयन समिति द्वारा 22 रिक्त पदों पर वरीयता क्रम के आधार पर अस्थायी चयन आदेश जारी किये गये थे जिसके क्रम में चयन आदेश क्रमांक /11.7.18 से चयनित 18 अभ्यर्थियों में से दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने तथा अनुबन्ध की कार्यवाही कराने वाले अनुपस्थित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त की जाती है (अंतिम तिथि आगे बढ़ाने सम्बन्धी को छोड़कर) तथा इनके स्थान पर आरक्षण एवं मैरिट अनुसार निम्न अभ्यर्थियों का वित्त विभाग के दिनांक 27.06.2014 में निर्धारित शर्तों के अधीन निम्नानुसार पात्र अभ्यर्थियों की सेवाएँ संतोष जनक की शर्त पर दिनांक 28.02.2019 / नरेगा योजना लागू रहने, जो भी पहले हों, तक अस्थायी रूप से पद पर लिये जाने का निर्णय लिया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वे मूल दस्तावेजों का सत्यापन, संस्थान की मान्यता तथा ग्रेडिंग सिस्टम होने की स्थिति में सीजीपीए को प्रतिशत में परिवर्तन का फॉर्मूला का सत्यापन करावे । सत्यापन में मैरिट व आरक्षण अनुसार सही पाये जाने पर 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 के निर्धारित प्रारूप में 2 चरित्र प्रमाण पत्र ,20 रु. का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर ब्लेक लिस्टेड नहीं होने का प्रमाण पत्र व सी.एम.एच.ओ. से जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 13.8.18 तक कार्यालय जिला नरेगा (भीलवाड़ा) में उपस्थित होवे-

क्रम	फा.सं.	नाम अभ्यर्थी	श्रेणी	शैक्षणिक योग्यता Bcom/ CA/CS/ICWA	Category
1	488	पुजा मेहता	GEN	B.COM.	UR
2	827	सोनल जैन	GEN	B.COM	UR
3	264	पंकज कुमार चौधरी जाट	OBC	B.COM	UR
4	103	हितेश शर्मा	GEN	B.COM	UR
5	493	चंदा कुमारी तेली	OBC	B.COM	UR PH
6	967	चेतन शर्मा	GEN	B.COM	OBC
7	560	भैरू लाल सोनी	OBC	B.COM	OBC
8	883	संजय सिंह भरवालिया	OBC	B.COM	OBC

691	मनोज कुमार गोंगट	SC	B.COM	SC
701	नरेन्द्र कुमार भीणा	ST	B.COM	ST
272	गणेश नारायण भीणा	ST	B.COM	ST
361	राजेश्वरी भीणा	ST F	B.COM	ST F

ग्रामीण विकास विभाग के आदेश के अनुसार लेखा सहायक को अधिकतम 8000/- रु. एक देय अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार देय होगा ।

जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं जिला कलेक्टर भीलवाड़ा

- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

श्रीमान शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
श्रीमान आयुक्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती
राज विभाग जयपुर।
श्री (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)

31.7.18
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला परिषद भीलवाड़ा